



प्रेषक,

संजय कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परियोजना समन्वयक,
प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन यूनिट,
चतुर्थ तल पिकप भवन, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ।

समन्वय अनुभाग

लखनऊ : दिनांक 13 जुलाई, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत विश्व बैंक सहायतित यूपीएग्रीज परियोजना में लेखाशीर्ष 2401-109-97-वाह्य सहायतित परियोजना-9702-यू०पी०एग्रीकल्चर ग्रोथ एण्ड रूरल इण्टरप्राइज इकोसिस्टम (यूपीएग्रीज) परियोजना (विश्व बैंक सहायतित) के मानक मद-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) से वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्धक (वित्त), प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन यूनिट, यूपीडास्प, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-202/323/वि० एवं ले०/बजट/2026-27 दिनांक 06 मई, 2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत विश्व बैंक सहायतित यूपीएग्रीज परियोजना में लेखाशीर्ष 2401-109-97-वाह्य सहायतित परियोजना-9702-यू०पी०एग्रीकल्चर ग्रोथ एण्ड रूरल इण्टरप्राइज इकोसिस्टम (यूपीएग्रीज) परियोजना (विश्व बैंक सहायतित) के मानक मद-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रु० 1000.00 लाख के सापेक्ष कुल धनराशि रु० 1000.00 लाख (रूपये दस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1-स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं योजना हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों/गाइडलाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा तथा व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- 2-स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।
- 3-प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में ही सुनिश्चित किया जायेगा।
- 4-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों/कार्यों में किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। अन्य किसी मद में न इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

1- पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस

2- <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट

- 5-पी.सी.यू.यूपीडास्प द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
- 6-अवमुक्त धनराशि का व्यय नियमानुसार आवंटित परिव्यय सीमा तक ही किया जायेगा।
- 7-अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
- 8-अनुमोदित धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है जिससे ब्याज अर्जित हो तो उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा करायी जायेगी।
- 9-प्रस्ताव में आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व यू.पी.डास्प का होगा।
- 10-प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह यू.पी.डास्प का उत्तरदायित्व होगा।
- 11-जिन मामलों में उ.प्र. बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
- 12-विभागाध्यक्ष/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।
- 13-कोषागार से एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेन्ट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- 14-व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 15-स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28 मार्च, 2026 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 10,00,00,000 (रुपये दस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 011 लेखा शीर्षक 2401001099702 यू.पी.एगीकल्चर गोथ एण्ड रूरल इन्टरप्राइज इकोसिस्टम(यूपी एगीज) परियोजना (विश्व बैंक सहायित) मानक मद 31 सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।**
- 3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

संजय कुमार दुबे
संयुक्त सचिव।

1- पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट
<http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-07/2026/180/001-388 2024. तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
- 2-महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज ।
- 3-अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
- 4-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5-वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन।
- 6-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
- 7-कृषि अनुभाग-3/5, उत्तर प्रदेश शासन।
- 8-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

संजय कुमार दुबे
संयुक्त सचिव।

1- पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट
<http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट